फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ (चूरू)

"राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 11.02.2023"

अमरसिंह बनाम राज. सरकार

प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट   न.मु.– 290/2022   GCMS No. – 2022/178

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.02.23		

यह प्रार्थना–पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थी श्री अमरसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी कोडासर बीदावतान तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व रिकॉर्ड में रोही कोडासर बीदावतान जमाबन्दी संवत् 2075–2078 के खाता संख्या 5 में प्रभूसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी कोडासरबीदावतान दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थी का सही नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार अमरसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी कोडासरबीदावतान है। प्रार्थी की अमरसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी कोडासरबीदावतान किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार सुजानगढ़ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि रोही कोडासरबीदावतान की जमाबन्दी संवत 2075–2078 के खाता संख्या 5 में प्रभूसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी कोडासरबीदावतान दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेजात, पटवारी, भू.अ.नि. की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम प्रभूसिंह उर्फ अमरसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी कोडासरबीदावतान है जो शुद्ध किया जाना उचित है।

प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, दस्तावेजात एवं तहसीलदार सुजानगढ़ की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में रोही कोडासरबीदावतान तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की जमाबन्दी संवत् 2075–2078 के खाता संख्या 5 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्व किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं–

क्र.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	कोडासर बीदावतान	**5 (नया)**	प्रभूसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी कोडासरबीदावतान	प्रभूसिंह उर्फ अमरसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी कोडासरबीदावतान

राहिन की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2023 को लि[illegible]कर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2023.02.13 12:08:34 IST
Reason: SelfAttested

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़